



-याप्रमाण ३५ रपड आदीकारी कोटणासिम (अलवर) राजा

पीठासीन आदीकारी. श्री विश्वासिक मीना R.A.S

अपील संख्या

०७/२०१७

दाखल दिनांक

२९-०९-२०१७

निर्णय दिनांक

१५/०३/२०१८

उत्तरान्त

[1] दंडराजा पुत्र महासिंह गादि राजपुत्र निवासी हांसपुरसुई तहसील कोटणासिम जिला अलवर (राजा)

- अपीलान्त

बनाम्

[1] राम पंचायत पतानिया तहसील कोटणासिम गादि संपन्ने राम पंचायत पतानिया तहसील कोटणासिम जिला अलवर (राजा)

- असल रेखांक

[२] मंगलसिंह पुत्र महासिंह

[३] विमला पुत्री महासिंह गादि राजपुत्र निवासी हांसपुरसुई तहसील कोटणासिम जिला अलवर (राजा)

- नर. रेखांक

अपील इतराण विरुद्ध अशा राम पंचायत पतानिया तहसील कोटणासिम जिला अलवर अर्का दिनांक ५.७.०५ ई.स. १९३ असा हांसपुरसुई तहसील कोटणासिम वसुस मन्सुस जिणे जाने अशा उम वी स्वीकार जिणे जाने तहसील अपीलान्त

आदेश:-

[1] श्री विश्वासीमान चर्का आगेवाला, अपीलान्त

अपीलान्त ने माग आगेवाला न्यायालय में आदेश देकर

अपील इतराण विरुद्ध अशा राम पंचायत पतानिया अर्का दिनांक ५.७.२००५ इतराण सं. १९३ असा वना ५ कासुनी विधा के साथ पोली

लगाकार

04

जिसमें शामिल किया कि आदेश दिनांक 5.7.04 दि. 193 ग्राम  
 हांसपुर खुर्द की जागजाही तब हुई गए अपीलाबद दिनांक 3.9.2017 को  
 जिसमें जोड़िए जाते लगाने गया। ग्राम महासिंह पुत्र बंधुभाई गणेश  
 राजपूत निवासी हांसपुर खुर्द की जागजाही खातेदारी की की जागजाही  
 हांसपुर सं. नं. 295, 296, 436, 435, 265, 269, 323, 432, 411, 413,  
 414, 425, 424, 427, 428, 345, 346, 348, 397, 401, 402, 403,  
 404, 420, 421, 286, 288, 289, 448, 244, 249, 251, 263,  
 271, 323, 340, 266, 210, 211, 67, 209, 188, 230, 231, 234,  
 236, 212, 237, 92, 96, 184, 200, 239, 240, 352, 353, 265,  
 226, 243, 269, 417, 255, 256, 260, 366, 368, 367, 364,  
 359, 365, 277, 274, 227, 429, 251 वर्ये ग्राम हांसपुर खुर्द  
 जिसकी जागजाही के नाम विरासत का ईकावाला 193 ग्राम हांसपुर खुर्द और  
 अपीलाबद सं. रेसपीडेशन के रूप में परवरी दस्तावेज दर्ज कर वाले  
 सेवाकार असल रेसपीडेशन ग्राम पंचायत पतकोया के समझ दिनांक  
 5.7.04 को पैदा किया गया जो ग्राम पंचायत पतकोया द्वारा विरा  
 किसी प्रकार की जांच किये तद्वीक परमा स्थित गया। युके और  
 अपीलाबद का नाम हांसपुरा पुत्र महासिंह वं बंधु महासिंह परवानपुत्र,  
 त्रिभुवा प्रसाद पुत्र सं. पालेकार राजनकाई वं भी दर्ज है। दस्तावेज  
 द्वारा वस्तु दर्ज करने विरासत ईकावाला सेवा नाम सहजले सुदसिंह  
 दर्ज कर दिया जावकि और आई बंधु का नाम सही दर्ज किया गया।  
 और अपीलाबद का सही नाम हांसपुरा वं किसी सुदसिंह गजत दर्ज कर  
 दिया जो जागजाही अनसुधी है। और अपीलाबद सेवाकार परमर्ष गजत  
 गजत कार्य बंधु का कानबजान कर उसके स्थान पर हांसपुरा दर्ज  
 रजस्य रिपोर्ट किया जाये।

अपील अपीलाबद दर्ज रजिस्ट्रार की जागजाही रेसपीडेशन

एप को ठहर किया गया। वास्तविक रूप का असल रेसपीडेशन संप्रत्य  
 ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपलब्ध नहीं। पर रेसपीडेशन 2 व 3  
 ने उपलब्ध सेवाकार ईकावाला जाव व पैदा किया। लक्ष्मणार

अपीनान ने अपनी साक्ष्य में बंगाल सिंह पुत्र महासिंह, विमला पुत्री  
महासिंह को साक्ष्य पत्र देना विधि। साथ पंचायत पताकोषा द्वारा जारी  
प्रमाण पत्र देना किया जिसमें शंकोर विधि कि हंसराज उर्फ महासिंह  
जाने राजपुर गांव सांभलपुर जिले तहसील कोइलासिंह का मुजा निवासी है।  
हंसराज व महासिंह एक ही व्यक्ति है।

उक्त विद्वान अतिआयका अपीनाम्मे सुनी गई। विद्वान शंकोरभायक  
ने अपनी जस्य में अपीन में अंकोर तथ्यों को संस्थापना और यह कि  
मुताबक महासिंह की विरासत का इस्तेमाल सं. 193 दिनांक 5.7.04  
परवारी सभा द्वारा की (कोषा 788) जिसमें सदस्य के लिए अपीनाम्मे  
का नाम हंसराज के स्थान पर महासिंह ही कर दिया और साथ  
पंचायत पताकोषा द्वारा विना गांव विधि व अपीनाम्मे को विना  
नोटिस सिर्फ स्वीकार कर लिया। आधार कार्ड, आधारवाह कार्ड, मुजा-  
निकास प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र में उक्त  
अपीनाम्मे का नाम हंसराज ही है। अतः अतः साथ पंचायत  
पताकोषा दिनांक 5.7.04 ई. सं. 193 संलग्न कर कि अपीनाम्मे  
का नाम महासिंह के स्थान पर हंसराज ही राजपुर विधान किया जाने।

विद्वान अतिआयका अपीनाम्मे को कसूर पर अमान किया एवं  
फावली का अर्थकोकन होया गया। (पंचायत सहायता साक्ष्य कार्ड,  
आधारवाह कार्ड, मुजा निकास प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर कार्ड, शिक्षा  
प्रमाण पत्र व साथ पंचायत पताकोषा द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अवलोकन  
के उपरि है कि अपीनाम्मे का नाम हंसराज ही महासिंह ही अपीन  
अपीनाम्मे स्वीकार किया जाने संभव प्रतीत होया है।

अतः अपीन अपीनाम्मे स्वीकार की जाती है। साथ  
पंचायत पताकोषा द्वारा दिनांक 5.7.2004 ई. सं. 193 निरस्त होया  
जाना है। तहसीलदार कोइलासिंह की कार्यवाही किया जाना है कि अपीनाम्मे  
का नाम महासिंह पुत्र महासिंह का नाम रजिस्टर किया जाना है इसके स्थान पर  
हंसराज पुत्र महासिंह ही किया जाए। (उक्त अर्थकोकन राजपुर विधान में  
समाप्त हुआ है।)

दिनांक अतः दिनांक 14/03/2018 को एवं इस विषयका जस्य  
(सं. राजपुर - सुभार) जारी।